भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 920

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना

920. डॉ. मल्लू रविः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के मानदंडों और तंत्र की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए सरकार के समक्ष लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के परीक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य सरकार से पालमुरू-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सूखा शमन, पेयजल सुरक्षा और सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए पात्र सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन में तेजी लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): वृहत सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने हेतु मानदंड और तंत्र पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को दिया जाता है, जिसमें अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी मुद्दे शामिल होते हैं या महत्वपूर्ण सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनरूद्धार किया जाता है। अद्यतन किए गए दिशा-निर्देश https://pmksy.mowr.gov.in/aibp-mis/Manual/Guidelines_PMKSY_AIBP_National_Projects_%202022.pdf पर उपलब्ध हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के लिए कोई भी परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग): पलामुरू-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हो गई है। संपूर्ण पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट

सिंचाई योजना परियोजना के इच्छित लाभों को प्राप्त करने के लिए समग्र आयोजना के अनुरोध के साथ सीडब्ल्यूसी द्वारा तेलंगाना राज्य को परियोजना की डीपीआर लौटा दी गई है।

(घ): वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 2017 को प्रस्तुत करने, मूल्यांकन करने और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
